संख्या-421/2023/1424/22-2-2023-17(48)/2021

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद, निवासी जनपद-अलीगढ़ हाल जनपद-मथुरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5535/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.02.2023), दिनांक-20.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद, न्यू राजेन्द्र नगर, थाना-बन्नादेवी, जनपद-अलीगढ़ हाल पता-लक्ष्मीनगर, थाना-कोतवाली मथुरा, जनपद-मथुरा का निवासी है। जेवरात चुराने की नीयत से बन्दी ने दिनांक 25.08.2001 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छुरा से मारकर गोविन्द (7वर्ष), प्रीति (14वर्ष) नामक 02 लड़कियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-03/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 एवं 394 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 10.10.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 03.11.2021 तक अपरिहार 20 वर्ष 02 माह 04 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष 08 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक-03.11.2021 तक अपरिहार 20 वर्ष, 02 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण अच्छा होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अजीत पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत (बन्दी संख्या-14004) पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद, निवासी जनपद-अलीगढ़ हाल जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-421/2023/1424(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-421/2023/1424/22-2-2023-17(387)/2023

दिनांक 26 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद, न्यू राजेन्द्र नगर, थाना-बन्नादेवी, जनपद-अलीगढ़ हाल पता-लक्ष्मीनगर, थाना-कोतवाली मथुरा, जनपद-मथुरा का निवासी है। जेवरात चुराने की नीयत से बन्दी ने दिनांक 25.08.2001 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छुरा से मारकर गोविन्द (7वर्ष), प्रीति (14वर्ष) नामक 02 लड़कियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 03/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 एवं 394 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 10.10.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 03.11.2021 तक अपरिहार 20 वर्ष 02 माह 04 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष 08 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक-03.11.2021 तक अपरिहार 20 वर्ष, 02 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण अच्छा होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अजीत पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है, किन्तु सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।